न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 56/2005

वादीगण : 1. शंकरलाल 2. मांगीलाल पुत्रान रावताजी जाति राजपुरोहित निवासीयान आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मंगलाराम पुत्र शेराराम के कायम मुकाम
1/1 श्रीमती मोरोदेवी बेवा मंगलाराम जाति राजपुरोहित
1/2 अर्जुनसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित
1/3 रतनसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित
1/4 हीरसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित
2. मिसराराम पुत्र शेराराम जाति राजपुरोहित
3. डायाराम पुत्र शेराराम जाति माली
4. मांगीलाल पुत्र मानाराम जाति माली
5. पुखराज पुत्र मानाराम जाति माली
6. श्रीमती सुआदेवी बेवा मानाराम जाति माली सभी निवासीयान आसोतरा तहसील पचपदरा
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांकः 12.11.2020

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
2. श्री कानसिंह चौहान व माधोसिंह चारण विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 ता 6 की ओर से

वादीगण ने न्यायालय में अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि, खालसा गांव आसोतरा तहसील पचपदरा की सीमा में कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 854 रकबा 26 बीघा 10 विस्वा, पुराने खसरा सं. 1282 रकबा 03.07 बीघा, नया खसरा सं. 550 रकबा 11 बीघा, खसरा सं. 550/2 रकबा 01.09 बीघा खसरा सं. 837 रकबा 00.05 बीघा कुल रकबा 12.14 बीघा अवस्थित रही हैं, वक्त राज मारवाड़ प्रथम भू– प्रबंधक वर्ष संवत 1991 में एवं दिनांक 15.10.1955 को एवं बाद में निरन्तर आज दिन तक वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुर्वज स्वं साहेबाजी, डोलीदार के पुत्रान स्वं शेराजी, स्वं नरसिंहजी, एवं स्वं रावता के स्वाधिनम कब्जा की खुदकाश्त एवं खातेदारी की थी, स्वं नरसिंह की मृत्यु कुवारे पन में ही हुई, इस प्रकार प्रथम भु– प्रबंध दिनांक 15.10.1955 को एवं द्वितीय भू–प्रबंधक वर्ष 2024 से पहले वादग्रस्त आराजी स्वं शेरजी एवं स्वं रावता के निस्फा निस्फ हिस्सो की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की निरन्तर सतत अभिलेख में दर्ज रही, एवं आज भी बदस्तुर मौके पर कब्जा कश्त रहवास हम वादीगण स्वं रावता के वारिसान का ही पुर्ववत है, स्वं शेराजी की वर्ष संवत 2026 में मृत्यु हुई, एवं वर्ष सम्वत 2048 स्वं रावता का देहान्त हुआ। भूप्रबंध विभाग ने वादीगण के हक पुर्वाधिकारी के खातेदारी अधिकारों के अहम दस्तावेज एवं मौके पर कब्जा काश्त की अनदेखी कर अवैध रूप से प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के हकपुर्वाधिकारी राजु पुत्र रूपा का नाम दर्ज कर दिया, सेटलमेंट विभाग सरकार का एक सामान्य विभाग है, जो धारा 106 रा भू रा अधिनियम के तहत जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मात्र भू सर्व का कार्य करता है, भूप्रबंध विभाग को अधिकार अभिलेख खतौनी की मूल

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

....2...

Scanned with CamScanner

प्रविष्टियो को हटाने या बदलने का कोई अधिकार या सक्षमता बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्राप्त नही है, भू प्रबंध विभाग को खातेदारी अधिकारो को विनिश्चित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, यदि भू प्रबंध विभाग ऐसी खातेदारी अधिकारो की अवैध प्रविष्टिया दर्ज कर देता है, तो ऐसी प्रविष्टियो विधि के अन्तर्गत आदित शुन्य एवं बिना क्षेत्राधिकार की होती है। प्रतिवादी सं. 4 ता 6 एवं उनके हकपुर्वाधिकारी मानाराम को या अन्य किसी को भी वादग्रस्त आराजी में कोई हक या अधिकार प्राप्त नही हुए, और न हो ही सकते है, भूप्रबंध विभाग के कर्मचारीयो द्वारा दर्ज अवैध एवं गलत प्रविष्टियो के कारण काबिज वादीगण के हको व अधिकारो पर एक अनिश्चितता का आवरण छा गया है, जिसे हटाने तथा वादीगण के अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिये घोषणा का नियमित वाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है।

वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 जवाबदावा इस आशय का पेश किया कि मौजा आसोतरा में उक्त भूमियां अवश्य अवस्थित है, उक्त भूमियो कभी भी वादीगण या उनके पुर्वजो की नही रही, न उनका कोई कब्जा काश्त है, डोलीया भी वर्षो पुर्व जब्त हो गयी थी, उक्त भूमि पर शेरा या नरसिंह या रावता का कोई कब्जा काश्त नही था, वादीगण ने उक्त तथ्य जानबुझकर गलत लिखवाये है, वादीगण का कोई रहवास नही है, वादीगण का कथन गलत है कि सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के हकपुर्वाधिकारी का नाम गलत दर्ज किया हो, जबकि सेटलमेंट द्वारा किया गया इन्द्राज पुर्ण रूप से नियमानुसार है, सेटलमेंट विभाग द्वारा अधिकारो का विनिश्चिय नही किया है, जो किसी भी प्रकार से बिना क्षेत्राधिकार नही है, स्वं राजु के नाम जो इन्द्राज किया गया वो सही है, इन्द्राज किसी भी रूप में शुन नही है, राजुराम उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से बहेसियत टीनेन्ट के काबिज थे, राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगणके जो इन्द्राज है, उनके लिये सत्यता की धारणाएं इन प्रविष्टियो को किसी भी सुरत में गलत करार नही दिया जा सकता, एवं न शुन्य करार दिया जा सकता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश किया है, वो चलने योग्य नही है, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को कोई हक अर्जित नही हुए इस कारण उनका घोषणात्मक दावा चलने योग्य नही है, वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राजस्व रेकर्ड में मिलावटी तरीके से कागजो में काटछाट की है, इसलिये दावा चलने योग्य नही है।

उक्त वाद पत्र एवं जवाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया – वादीगण दावा के पद सं. 9 अ में दर्शाये अनुसार खातेदारी हक पाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण

2. आया – वादीगण खतौनी अभिलेख सं. 516/485 में से प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के राजस्व रेकर्ड से नाम हटवाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे वादीगण

3. आया – वादीगण विवादित भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे वादीगण

4. सहायता –

तदोपरान्त वादी ने अपनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 स्वयं शंकरलाल के बयान कलमबद्ध करवाये, एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी खतौनी, प्रदर्श 2 नक्शा मोमिट्रेस, प्रदर्श 3 नक्शा मोमिट्रेस, प्रदर्श–4 खतौनी सवत 1999, प्रदर्श 5 जमाबंदी खतौनी सम्वत 2008, सम्वत 2018–21 प्रदर्श – 6 खसरा बंदोबस्त प्रस्तुत किये और अपनी साक्ष्य समाप्त की ।

उपखण्ड अधिकारी / (S.D.O.) बालोतरा

....3...

Scanned with CamScanner

वादी शंकरलाल पी.डब्ल्यू–1 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मौके पर कब्जा काश्त लगातार कायम होने से घोषणा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य में डी.डब्लु 1 स्वंय एवं दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श ए 1 खतौनी तथा ए 2 गिरदावरी, ए 3 नक्शा, ए 4, ए5, ए6, ए7 खतौनीयां, प्रदर्श ए8, ए9 खसरा बंदोबस्त, प्रदर्श ए 10, ए11, ए12, ए13, ए14 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श ए15 आदेशिका, प्रदर्श ए16 एफआईआर प्रदर्श ए 17 अंतिम फार्म रिपोर्ट, पेश की।

डी.डब्लु – 1 मांगीलाल ने अपनी साक्ष्य में अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराया। जिरह में गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया कि, पुराना खसरा सं. 854 के खातेदार शेरा, नरसिंह बेटा सायबाजी की ईबारत प्रदर्श 4 खतौनी सम्वत 1999 अनुसार लिखा हुआ है, इसी अनुसार सम्वत 1999, 2008–11, 2018–21 में शेरा व नरसिंह की इबारत खातेदार के कोलम में लिखी है, उनके द्वारा या उनके वारिसान द्वारा हम प्रतिवादीगण के पिता के नाम बेचाननामा पंजीबद्ध नही करवाया,...... आसोतरा गावं के दो सेटलमेंट हुए थे, ...यह कहना सही है, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कमरा बनाकर कब्जा है..........यह कहना सही है कि प्रदर्श ए 15 व ए 16 से संबधित था उसमें वादीगण मुलजिमान को न्यायालय द्वारा सन 2010 में बरी कर दिया था,........... यह सही है, ~~कि~~ हमारे हक में कोई बेचाननामा नही है, सेटलमेंट वालो ने हमारे नाम दर्ज किया था।

हमने उपस्थित अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, खसरा गिरदावरी व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुए तर्क दिया कि, माफिक इस्तदुआ वाद पत्र वादी स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, प्रतिवादी अधिवक्ता ने वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये जमाबंदी खतौनी संवत 1999, अनुसार पुराने खसरा सं. 854, 1292 के खातेदार के कोलम में शेरा ने नरसिंह बेटा सायबाजी, प्रदर्श 5 जमांबदी सम्वत 2008 में खसरा सं. 854 मे शेरा ने नरसिंगा पुत्रान सायबा रा, खुदकाश्त की प्रविष्टियो अंकित है। उपरोक्त अनुसार वादग्रस्त भुमियां नये खसरा सं. 550, 550/2, खसरा सं. 837 पुराने खसरा सं. 854 व 1282 के साबिका खसरा है, उक्त तथ्य प्रदर्श 6 खसरा बंदोबस्त से ही स्पष्ट है, प्रतिवादी पी डी.डब्लु 1 ने अपने बयाने में यह सस्वीकृति दी है, कि सेटलमेंट वालो ने उनके पिता का नाम दर्ज किया था। उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है, कि सेटलमेंट विभाग को किसी भी खातेदार की प्रविष्टियो को हटाने या जोड़ने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, इस सम्बंध में वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

तनकीवार निर्णय –

1. आया – वादीगण दावा के पद सं. 9 अ में दर्शाये अनुसार खातेदारी हक पाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने के लिये वादी ने मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यु 1 के बयान कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी खतौनी, प्रदर्श 2 नक्शा मोमिट्रेस, प्रदर्श 3 नक्शा मोमिट्रेस, प्रदर्श–4 खतौनी सवत 1999, प्रदर्श 5 जमाबंदी खतौनी सम्वत 2008, सम्वत 2018–21 प्रदर्श – 6 खसरा बंदोबस्त प्रस्तुत किये।

.....4...

(S.D.O.) बालोतरा
यक कलेक्टर
D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

जमाबंदी खतौनी संवत 1999, अनुसार पुराने खसरा सं. 854, 1292 के खातेदार के कोलम में शेरा ने नरसिंह बेटा सायबाजी, प्रदर्श 5 जमांबदी सम्वत 2008 में खसरा सं. 854 मे शेरा ने नरसिंगा पुत्रान सायबा रा, खुदकाश्त की प्रविष्टियो अंकित है। उपरोक्त अनुसार वादग्रस्त भूमियां नये खसरा सं. 550, 550/2, खसरा सं. 837 पुराने खसरा सं. 854 व 1282 के साबिका खसरा है, उक्त तथ्य प्रदर्श 6 खसरा बंदोबरत से ही स्पष्ट है, गवाह डी.डब्ल्यु 1 मांगीलाल ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया कि, पुराना खसरा सं. 854 के खातेदार शेरा, नरसिंह बेटा सायबाजी की ईबारत प्रदर्श 4 खतौनी सम्वत 1999 अनुसार लिखा हुआ है, इसी अनुसार सम्वत 1999, 2008–11, 2018–21 में शेरा व नरसिंह की इबारत खातेदार के कोलम में लिखी है, उनके द्वारा या उनके वारिसान द्वारा हम प्रतिवादीगण के पिता के नाम बेचाननामा पंजीबद्ध नही करवाया, आसोतरा गावं के दो सेटलमेंट हुए थे, ...यह कहना सही है, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कमरा बनाकर कब्जा है..........यह कहना सही है कि प्रदर्श ए 15 व ए 16 से संबधित था उसमें वादीगण मुलजिमान को न्यायालय द्वारा सन 2010 में बरी कर दिया था,........... यह सही है, कि हमारे हक में कोई बेचाननामा नही है, सेटलमेंट वालो ने हमारे नाम दर्ज किया था। उक्त हिस्से में से कोई भी बेचान राजुराम या मानाराम के वारिसान को किया गया हो, जिसके आधार पर प्रतिवादी के हकपुर्वाधिकारी का नाम दर्ज किया गया हैं, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं हैं ।

उपरोक्त समस्त विवेचन से उक्त तनकी वादीगण ने बखुबी साबित की हैं, इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 550, 550/2, 837 कुल रकबा 12.14 बीघा मौजा आसोतरा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं – अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं ।

तनकी सं. 2. आया – वादीगण खतौनी अभिलेख सं. 516/485 में से प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के राजस्व रेकर्ड़ से नाम हटवाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे वादीगण

चुँकि तनकी सं. 01 वादीगण ने अपने पक्ष में सिद्ध की हैं, इसलिए उक्त तनकी पूर्व तनकी की अनुसांगिक हैं, चूँकि वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी घोषित हुए हैं, इसलिये प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम वर्तमान खतौनी से हटानें के अधिकारी हैं, उक्त तनकी साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं – अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं, और प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम जमाबंदी खतौनी से हटाने का निर्णय पारित किया जाता हैं ।

3. आया – वादीगण विवादित भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे वादीगण

चुँकि तनकी नं. 01, 02 वादीगण के हक में निर्णित की गई हैं और वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का खातेदार घोषित किया गया हैं, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण सं. 04 ता 06 के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हैं, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग, उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं, उसमें किसी प्रकार का दखल करने का कोई अधिकार प्रतिवाद्री को नहीं हैं । यदि रेकर्डेड खातेदार वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 द्वारा कोई दखल हस्तक्षेप किया जाता हैं, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी 4 ता 6 के विरूद्ध निर्णित कर प्रतिवादी 4 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, कि प्रतिवादी 4 ता 6 वादीगण के वादग्रस्त भूमियों के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध कारित नहीं करें ।

...यक कलेक्टर
...D.O.) बालोतरा

....5....

Scanned with CamScanner

4. अनुतोष –

चूँकि वादीगण ने अपने जिम्मे रखी तनकीयात सं. 1, 2, 3, बखुबी साबित की हैं, इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी हैं, तथा प्रतिवादी सं 4 ता 6 का नाम वर्तमान खतौनी से हटाने के अधिकारी हैं, व वादीगण प्रतिवादी सं 4 ता 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आसोतरा तहसील पचपदरा की सीमा में कृषि भूमि खसरा सं. 550 रकबा 11 बीघा, खसरा सं. 550/2 रकबा 01.09 बीघा खसरा सं. 837 रकबा 00.05 बीघा कुल रकबा 12.14 बीघा अवस्थित हैं, में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमियों में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं, प्रतिवादी सं. 04 ता 06 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, कि प्रतिवादी सं. 04 ता 06 वादीगण के वादग्रस्त भूमियों के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध कारित नहीं करें । डिक्री पर्चा ज़ारी हो ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

निर्णय आज खुले न्यायालय में तारीख 12.11.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर SDO मुकाम बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस –

वादीगण : 1. शंकरलाल 2. मांगीलाल पुत्रान रावताजी जाति राजपुरोहित निवासीयान आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण 1. मंगलाराम पुत्र शेराराम के कायम मुकाम

1/1 श्रीमती मोरोदेवी बेवा मंगलाराम जाति राजपुरोहित

1/2 अर्जुनसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित

1/3 रतनसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित

1/4 हीरसिंह पुत्र मंगलाराम जाति राजपुरोहित

2. मिसराराम पुत्र शेराराम जाति राजपुरोहित

3. डायाराम पुत्र शेराराम जाति माली

4. मांगीलाल पुत्र मानाराम जाति माली

5. पुखराज पुत्र मानाराम जाति माली

6. श्रीमती सुआदेवी बेवा मानाराम जाति माली सभी निवासीयान आसोतरा तहसील पचपदरा

7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश

मुकदमा नं. राजस्व मूल वाद संख्या 56 सन् 2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिंसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई वकील श्री अचलाराम थोरी व मिनजानिब प्रतिवादीगण मुदायलाह कानसिंह चौहान व माधोसिंह चारण विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 ता 6 की ओर से हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आसोतरा तहसील पचपदरा की सीमा में कृषि भूमि खसरा सं. 550 रकबा 11 बीघा, खसरा सं. 550/2 रकबा 01.09 बीघा खसरा सं. 837 रकबा 00.05 बीघा कुल रकबा 12.14 बीघा अवस्थित हैं, में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमियों में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं, प्रतिवादी सं. 04 ता 06 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, कि प्रतिवादी सं. 04 ता 06 वादीगण के वादग्रस्त भूमियों के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध कारित नहीं करें । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मुहर सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner